

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु राहगति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी राहगति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहगति से किये जाने हेतु प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने को आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्दाज					स्वीकृत किया गया इन्दाज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
जलपुरा	253	रा. घा. ठी. जलपुरा	199	0.32	महात्मा गांधी	199	0.32
			200	0.49	राजकीय विद्यालय जलपुरा (भगोजी भास्कर)	200	0.42

[Signature]  
शिबिर प्रभारी

(अतिरिक्त, जिला कलेक्टर, डी.ड.वा.वा.)  
POKRA, DIST. MOALSAR  
दिनांक - 16/11/21

क्रमांक :- 948

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

[Signature]  
शिबिर प्रभारी

(अतिरिक्त, जिला कलेक्टर, डी.ड.वा.वा.)  
POKRA, DIST. MOALSAR  
दिनांक -

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का खेरी खुर्द को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

[Signature]  
उप तहसीलदार, मौलासर